

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।  
उपस्थित:- उपस्थित: श्री सुनील कुमार IV (एच.जे.एस.)  
J.O.Code.U.P1885  
सत्र परीक्षण संख्या- 432/2022

राज्य

प्रति

रामभजन चौहान

आरोप

मैं, सुनील कुमार IV सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,  
आप अभियुक्त:-

रामभजन चौहान पुत्र बलिराम चौहान,  
पर निम्न आरोप लगाता हूँ:-

प्रथम:- यह कि दिनांक 23-02-2022 को दिन में 12 बजे ग्राम करनौल, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली स्थित वादिनी के खेत में आपने जमीन बेचने के विवाद को लेकर वादिनी की मां एवं आपकी पत्नी गीता देवी की जब वह खेत में घास काटने गयी थी लाठी से उसके सिर में मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार आपने धारा 302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:-28-10-2022.

(सुनील कुमार IV)  
सत्र न्यायाधीश,  
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिसे उसने अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया।

दिनांक:-28-10-2022.

(सुनील कुमार IV)  
सत्र न्यायाधीश,  
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या- 432/2022

राज्य

प्रति

रामभजन चौहान

28-10-2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रामभजन चौहान जेल से तलब होकर उपस्थित है। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्त रामभजन चौहान पर धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तदनुसार अभियुक्त पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,  
चन्दौली।

बादहू

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त पर धारा 302 भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया जिसे उसने अस्वीकार किया तथा परीक्षण का दावा किया। गवाहान तलब हों। साक्ष्य हेतु मुकदमा दिनांक 11-11-2022 को प्रस्तुत हो।

यह पत्रावली विधिनुसार सुनवाई/निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, चन्दौली के न्यायालय में स्थानान्तरित की जाती है। लोक अभियोजक सूचित हों। सम्बन्धित लिपिकगण उपरोक्तानुसार अनुपालन करें।

सेशन जज,  
चन्दौली।